संoसंo–3 / जन–02 / 2022

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय :– **राज्य सरकार के सात निश्चय – 3 के अंतर्गत घोषित कार्यक्रम की कंडिका 5(च) के तहत एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति अन्तर्गत कार्यरत् बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों / चिकित्सक शिक्षकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति के संबंध में।**

राज्य सरकार के सात निश्चय – 3 के अंतर्गत घोषित कार्यक्रम की कंडिका 5(च) के तहत एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति अन्तर्गत कार्यरत् बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों / चिकित्सक शिक्षकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त के क्रियान्वयन एवं इस हेतु चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ता (NPA) / प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरांत अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 319(3) / स्वा0, पटना, दिनांक: 11 / 4 / 2026

प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

319(3) दि॰ 11/4/26

प्रतिलिपिः	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः	सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः	अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः	आई॰टी॰ मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

11/4/2026